(आदेश 20 के .नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 33/2022

मनीराम पुत्र हरजीराम जाति बलाई निवासी ग्राम खुड़ी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

–वादी –

बनाम

1. दुर्गा देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर सीकर
2. नौरंगराम पुत्र लिछमणराम जाति बलाई निवासी बुद्ववाली तहसील रतनगढ जिला चुरू
3. रामनारायण पुत्र हेमाराम जाति खटीक निवासी खटीकों की प्याउ के पास, जगमालपुरा रोड़, सीकर
4. चन्द्री
5. धन्नी
6. श्रवणी
7. सरोज पुत्रियां पेमाराम
8. छोटी पत्नि पेमाराम
9. ताराचन्द पुत्र पेमाराम समस्त जाति चमार निवासीगण ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर
10. पटवारी, पटवार हल्का नानी तहसील व जिला सीकर
11. उप पंजीयक सीकर
12. तहसीलदार, सीकर

– प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

वाद वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1782/798 रकबा 0.01 है0 व खसरा नम्बर 1783/798 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर में वादी को खसरा नम्बर 1782/798 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नम्बर 1783/798

16/2/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

रकबा 0.33 है0 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 29/165, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 68/165, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 68/165 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 16.9.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर